राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प03(54)नविवि / 3 / 2012 /   दिनांक– 2–12–2012

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012

जिला कलक्टर,
दौसा

विषय– प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 – आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी करने के संबंध में आ रही समस्या बाबत।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक– आर–18–ए(83)2012 / 8304 दिनांक 30–11–2012

महोदय,

संदर्भित पत्र के द्वारा आपने अवगत कराया है कि राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– F–3(63) / ग्रुप–1 / 2009 दिनांक 28–4–2011 के अनुसार पंजीकृत क्रय पत्र में भूमि का क्षेत्रफल कृषि भूमि के क्षेत्रफल या रकबे के लिए राजस्थान में प्रचलित मानक माप इकाइयों अर्थात् बीघा, बिस्वा, हैक्टेयर, एयर या एकड़ में वर्णित होना आवश्यक है जबकि भूखण्डों का विक्रय वर्गमीटरों में होने के कारण उसका नामान्तरण खुलकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हो पा रहा है जिस कारण ऐसे क्रेताओं को आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी करने में कठिनाई आ रही है।

इस संबंध में आपका ध्यान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–A की उपधारा (7) के खण्ड – (B) की ओर दिलाया जाता है जिसके अनुसार उक्त धारा के तहत नगर पालिका के व्ययाधीन आई भूमि को successors, assignees or transferees को आवंटित किया जा सकता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों ने भूखण्ड वर्गमीटरों या वर्गगजों की माप में पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से क्रय किए हैं वे विधिवत् रूप से transferees हैं अतः उन्हें पट्टे जारी किए जा सकते हैं, भले ही ऐसे दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण नहीं हुआ हो।

आज्ञा से,

(आर0के0 पारीक)
उपशासन सचिव – II

प्रतिलिपि –

1– विशिष्ठ सहायक, मां0 मंत्री, नविवि एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0
3– निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
4– समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5– सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण
6– समस्त सचिव, नगर विकास न्यास
7– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका मण्डल

उपशासन सचिव – II